न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 10 सन 2013

अनवान :–

1. रूकमा पुत्री किशनाराम पत्नि प्रभूराम जाति नायक निवासी नहराना हाल अलाईला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. बुधराम पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायला
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता 1 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 13/3/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा नहराना के साबिका खसरा न0 6 का 40.00 बीधा खसरा न0 12 की 18.16 बीधा कुल 58.16 बीधा भूमि जिसके डुगर वल्द मुकनाराम खातेदार काश्तकार थे।

उपरोक्त साबिका खसरा न0 वर्तमान में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गत पैमाईश में साबिका खसरा न0 6 मिन व 12 मीन से खसरा न0 15 व 132 में परिर्वर्तित व पैमुद हो गई।

डुगरराम पुत्र मुकनाराम व तीजा पत्नी डुगरराम के कोई सन्तान नही हुई इस कारण उक्त भूमि उनके फोत होने के बाद प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी सायला एक मात्र सन्तान है क्योकि वादीया के पिता डुगरराम सगे भाई थे गैरसायल डुगरराम के साले का लडका है गैरसायल के वादीया के ताउ डुगरराम की कृषि भूमि हाल खसरा न0 15 की 8.2190हैक व खसरा न0 132 की 4.2610हैक कुल 12.4800हैक भूमि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयों से मिली भगत कर उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई है जो कतई सायला के हकों विपरित है जिससे सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये सायला गैरसायल का नाम कलमजन करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की हकदार है क्योकि सायल डुगरराम के सगे भाई की लडकी है दोनो भाईयों के बीच में एक मात्र सन्तान सायला है इसलिये उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल के रोही मौजा नहराना के खसरा न0 15 की 8.2190हैक व खसरा न0 132 की 4.2610हैक कुल 12.4800हैक भूमि कतई साजिशाना तौर से गलत दर्ज है क्योकि भूप्रबन्ध विभाग को केवल राजस्व रिकार्ड की पुरानी प्रविष्टी को दौहराना होता है नई प्रविष्ट बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अथवा रजिस्टर दस्तावेजात के बिना ईन्द्राज बदलने को कोई हक अधिकार नही था वादीयाके अधिकारों के मुकाबले प्रतिवादी के पक्ष में किया गया इन्द्राज कतई शुन्य है जिसे सायला कलमजन करवाने की अधिकारी है।

गैरसायल राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज होने का फायदा उठा कर वाद भूमि को अन्यत्र रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायल को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/54 के खसरा न0 15 की 8.2190हैक, खसरा न0 132 की 4.2610हैक कुल 12.4800हैक भूमि को रहन बैय नही करने रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस जारी किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वादीया का खातेदार डुगरराम से कोई सम्बध नही है मात्र सायला वारिस बन कर भूमि हडप करने की साजिस रची है गैरसायल डुगरराम का खोलायत पुत्र हे तथा डुगरराम व उसकी पत्नी की सेवा चाकरी बुधराम ने ही की थी तथा पुरे जीवनकाल में डुगरराम व उसकी पत्नी के पास ही रहता था डुगरराम ने अपने जीवन काल में ही गैरसायल को खोले लिया था तथा डुगराराम के देहान्त होने के बाद खोलायत पुत्र की हैसीयत से ही भूमि गैरसायल के नाम से दर्ज हुई है।

वाद भूमि साजिसाना तौर पर दर्ज न होकर बतौर वारिस खोलायत पुत्र की हैसियत से दर्ज हुई है सायला कोन है कहा कि है गैरसायल या गांव वालों को ज्ञान ही नही है फर्जी तौर

से वारिस बनकर आई है भूमि हडप करने की नियत से दावा पेश किया है वर्तमान में सायला रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

खातेदार डुगरराम व उसकी पत्नी लावल्द फोत हो चुके है उन्होने अपने जीवनकाल में ही बुधराम को खोले ले लिया तथा गांव के मौजीज व्यक्तियों के सामने लिखा पढी भी करवाई थी बुधराम ने डुगरराम व उसकी पत्नि की अन्तिम समय तक सेवा चाकरी की थी तथा समस्त क्रिया कलाम भी डुगरराम में ही पुरे किये थे डुगरराम की मृत्यू के बाद उक्त भूमि बुधराम पुत्र डुगरराम का खोलायत पुत्र के नाम से दर्ज हो गई तथा लगातार काबिज चला आ रहा है गैरसायल ने खोलानामा की समस्त शर्तो की पूर्ति की थी समस्त दस्तावेजात में गैरसायल के पिता का नाम डुगरराम ही दर्ज है।

सायला का डुगरराम से कोई सम्बध नही है तथा ना ही कभी नहराना में आई है तथा डुगरराम ने अपने जीवन काल में भी कभी भी किशनाराम व रूकमा के बारे में चर्चा की यह कोई फर्जी व साजिस के तहत डुगर राम की भाई की पुत्री बनकर भूमि हडपनें की साजिश के तहत प्रतिवादी को बिना वजह परेशान करने के लिये झुठा प्रार्थना पत्र/दावा पेश किया गया है सायला ने प्रार्थना पत्र 40 साल बाद पेश किया है इतने दिनों तक सायला ने किसी प्रकार का ऐतराज नही किया जिसका कोई कारण भी अंकित नही किया गया है इस प्रकार गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के साबिका खसरा न0 6 की 40.00 बीधा खसरा न0 12 की 18.16 बीधा कुल 58.16 बीधा भूमि जिसके डुगर वल्द मुकनाराम खातेदार काश्तकार थे।

उपरोक्त साबिका खसरा न0 वर्तमान में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गत पैमाईश में साबिका खसरा न0 6 मिन व 12 मीन से खसरा न0 15 व 132 में परिर्वर्तित व पैमुद हो गई।

डुगरराम पुत्र मुकनाराम व तीजा पत्नी डुगरराम के कोई सन्तान नही हुई इस कारण उक्त भूमि उनके फोत होने के बाद प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी सायला एक मात्र सन्तान है क्योकि वादीया के पिता डुगरराम सगे भाई थे गैरसायल डुगरराम के साले का लडका है गैरसायल के वादीया के ताउ डुगरराम की कृषि भूमि हाल खसरा न0 15 की 8.2190हैक व खसरा न0 132 की 4.2610हैक कुल 12.4800हैक भूमि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयों से मिली भगत कर उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई है जो कतई सायला के हकों विपरित है जिससे सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये सायला गैरसायल का नाम कलमजन करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की हकदार है क्योकि सायल डुगरराम के सगे भाई की लडकी है दोनो भाईयों के बीच में एक मात्र सन्तान सायला है इसलिये उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल के रोही मौजा नहराना के खसरा न0 15 की 8.2190हैक व खसरा न0 132 की 4.2610हैक कुल 12.4800हैक भूमि कतई साजिशाना तौर से गलत दर्ज है क्योकि भूप्रबन्ध विभाग को केवल राजस्व रिकार्ड की पुरानी प्रविष्टी को दौहराना होता है नई प्रविष्ट बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अथवा रजिस्टर दस्तावेजात के बिना ईन्द्राज बदलने को कोई हक अधिकार नही था वादीयाके अधिकारों के मुकाबले प्रतिवादी के पक्ष में किया गया इन्द्राज कतई शुन्य है जिसे सायला कलमजन करवाने की अधिकारी है।

गैरसायल राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज होने का फायदा उठा कर वाद भूमि को अन्यत्र रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायल को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/54 के खसरा न0 15 की 8.2190हैक, खसरा न0 132 की 4.2610हैक कुल 12.4800हैक भूमि को रहन बैय नही करने रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया का खातेदार डुगरराम से कोई सम्बध नही है मात्र सायला वारिस बन कर भूमि हडप करने की साजिस रची है गैरसायल डुगरराम का खोलायत पुत्र हे तथा डुगरराम व उसकी पत्नी की सेवा चाकरी बुधराम ने ही की थी तथा पुरे जीवनकाल में डुगरराम व उसकी पत्नी के पास ही रहता था डुगरराम ने अपने जीवन काल में ही गैरसायल को खोले लिया था तथा डुगराराम के देहान्त होने के बाद खोलायत पुत्र की हैसीयत से ही भूमि गैरसायल के नाम से दर्ज हुई है।

वाद भूमि साजिसाना तौर पर दर्ज न होकर बतौर वारिस खोलायत पुत्र की हैसियत से दर्ज हुई है सायला कोन है कहा कि है गैरसायल या गांव वालों को ज्ञान ही नही है फर्जी तौर से वारिस बनकर आई है भूमि हडप करने की नियत से दावा पेश किया है वर्तमान में सायला

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

खातेदार डुगरराम व उसकी पत्नी लावल्द फोत हो चुके है उन्होने अपने जीवनकाल में ही बुधराम को खोले ले लिया तथा गांव के मौजीज व्यक्तियों के सामने लिखा पढी भी करवाई थी बुधराम ने डुगरराम व उसकी पत्नि की अन्तिम समय तक सेवा चाकरी की थी तथा समस्त क्रिया कलाम भी डुगरराम में ही पुरे किये थे डुगरराम की मृत्यू के बाद उक्त भूमि बुधराम पुत्र डुगरराम का खोलायत पुत्र के नाम से दर्ज हो गई तथा लगातार काबिज चला आ रहा है गैरसायल ने खोलानामा की समस्त शर्तो की पूर्ति की थी समस्त दस्तावेजात में गैरसायल के पिता का नाम डुगरराम ही दर्ज है।

सायला का डुगरराम से कोई सम्बध नही है तथा ना ही कभी नहराना में आई है तथा डुगरराम ने अपने जीवन काल में भी कभी भी किशनाराम व रूकमा के बारे में चर्चा की यह कोई फर्जी व साजिस के तहत डुगर राम की भाई की पुत्री बनकर भूमि हडपनें की साजिश के तहत प्रतिवादी को बिना वजह परेशान करने के लिये झुठा प्रार्थना पत्र/दावा पेश किया गया है सायला ने प्रार्थना पत्र 40 साल बाद पेश किया है इतने दिनों तक सायला ने किसी प्रकार का ऐतराज नही किया जिसका कोई कारण भी अंकित नही किया गया है इस प्रकार गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही एवं सायला किशनाराम की पुत्री है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/54 के खसरा न0 15/8.2190हैक खसरा न0 132/4.2610हैक कुल 12.4800हैक भूमि का गैरसायल न0 1 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है गैरसायल न0 1 राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल न0 1 के पक्ष में पाया जाता है।

सायला का कथन है कि वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से कतई गलत तौर से दर्ज कर दी भुप्रबन्ध विभाग को वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज करने का अधिकार नही था जबकि गैरसायल न0 1 का कथन है कि वाद भूमि खोलायत पुत्र की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

सायला ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया जिससे यह साबित हो की भुप्रबन्ध विभाग के द्वारा बिना अधिकार वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज की गई हो। गैरसायल ने अपने कथनों के समर्थन में निवेदन किया की वाद भूमि के सम्बध में इसी न्यायालय मे वाद भूमि के नामान्तकरण की अपील पेश की गई जिससे वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि भुप्रबन्ध विभाग के द्वारा दर्ज ना की जाकर जरिये नामान्तकरण दर्ज हुई है।

सायला का कथन है गैरसायल के नाम से भूमि दर्ज है जो कभी भी सायला के हकों को नुकसान पहुचानें के लिये रहन बैय कर सकता है स्वीकार नही है गैरसायल न0 1 के नाम से वाद भूमि गत 40 सालों से दर्ज है सायला ने प्रार्थना पत्र वर्ष 2013 में पेश किया था है आदिनांक तक वाद भूमि खुर्द बुर्द एवं बेचान करने का कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजुद नही है गैरसायल न0 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है मात्र सायला का कथन है कि वह किशनाराम की वारिस है मात्र कथनों के आधार पर किसी रिकार्डेड खातेदार का पाबन्द नही किया जा सकता है यदि किया जाता है तो रिकार्डेड खातेदार को अपूर्णीय क्षति होती है अर्थात गैरसायल न0 1 को अपूर्णीय क्षति होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल के पक्ष में होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)